नागरिक शिकायत सूचना पत्र

Middlesex Police Department के सदस्य न्यायोचित, प्रभावी और निष्पक्ष ढंग से काि ू लागू कराि े रूपी सेवा देि े के ललए प्रनतबद्ध हैं। यह सभी के सवोत्तम हहत में है कक ककसी ववशेष अचधकारी के प्रदशशि के बारे में आपकी लशकायत को न्यायोचित ढंग से और शीघ्रता से हल ककया जाए। आपकी लशकायत की जाँि के ललए पललसु ववभाग के पास औपिाररक प्रकियाएँ हैं। इि प्रकियाओं का डिजाइि िागररकों और काि ूि लाग ू कराि े वाले अचधकाररयों, दोि ों के अचधकारों की रक्षा करि और निष्पक्षता सनिश्चितु करि के ललए ककया गया है:

1. गमिामु स्रोतों सहहत ककसी भी व्यश्तत से अचधकारी / कमिश ारी के बारे में कदाि ार की ररपोर्श या लशकायत ककसी भी समय स्वीकार की जाि ी ि ाहहए।

2. लशकायतकताश की आयु, ि स्ल, ि स्ल, धमश, ललगं, यौि अलभववन्यास, ववकलांगता या आव्रजि श्स्ि नत की परवाह ककए बबिा लशकायत स्वीकार ककया जाएगा।

3. आपकी लशकायत को ककसी उच्ि ाचधकारी या आंतररक मामलों के ललए ववशेष रूप से प्रलशक्षक्षत अचधकारी के पास भेजा जाएगा जो मामले की ववस्ततृ और उद्देचयपर्शू जाँि करेंगे।

4. आपको घर्ि ा के बारे में ववस्ततृ ववरर् दे कर जाँि में मदद करि के ललए कहा जा सकता है कक तया हुआ ि ा य□ / और अन्य महत्वपूर्श जाि कारी या दस्तावेज उपलब्ध कराि े के ललए कहा जा सकता है।

5. काि ू लाग ू कराि े वाले अचधकाररयों के ववरूद्ध सभी लशकायतों की ववस्ततृ जाँि की जाती है। यहद अिरोधु ककया जाता है, तो आपको जाँि की श्स्ि नत और उसके अंनतम पररर्ाम से अवगत कराया जाएगा, और आप संपकश जाि कारी प्रदाि करते हैं। अचधरोवपत सर्ीक सजा गोपिीय है, लेककि जाँि के अंनतम पररर्ाम के बारे में आपको सचितू ककया जाएगा, अि ाशतः

    a. लशकायत की वैधता माि ली गई: सबतोंू को देखि से पता ि लता है कक अचधकारी ि े ककसी काि ूि; ववनियमि; महान्यायवादी (अर्ॉि ी जिरल) या काउंर्ी अलभयोजक द्वारा जारी ककए गए आदेश, हदशानिदेश, ि ीनत या प्रकिया; एजेंसी प्रोर्ोकॉल; पररिालि प्रकिया; लसद्धांत; या प्रलशक्षर् का उल्लंघि ककया है।

    b. लशकायत निराधार पाया गया: सबतोंू को देखि से पता ि लता है कक कचित कदाि ार ि हीं हुआ ि ा।

    c. दोषमतत ु कर हदया गया: सबूतों को देखि से पता ि लता है कक कचित अिरर् हुआ ि ा, लेककि ककसी भी काि ूि ; ववनियमि; महान्यायवादी (अर्ॉि ी जिरल) या काउंर्ी अलभयोजक द्वारा जारी ककए गए आदेश, हदशानिदेश, ि ीनत या प्रकिया; एजेंसी प्रोर्ोकॉल; पररिालि प्रकिया; लसद्धांत; या प्रलशक्षर् का उल्लंघि ि हीं ककया गया ि ा।

    d. लशकायत अवैध है: आरोप को स्पष्र् रूप से साबबत करि या खाररज करि में जाँि पयाशप्त सबतोंू का खलासा ु करि में ववफल रहा।

6. यहद हमारी जाॉंि यह दशाशती है कक अपराध ककया गया हो सकता है, तो काउंर्ी अलभयोजक को सचितू ककया जाएगा। आपको अदालत में गवाही देिे के ललए कहा जा सकता है।

7. यहद हमारी जाॉंि के पररर्ामस्वरूप ककसी अचधकारी पर ववभाग के नियमों के उल्लंघि का आरोप लगाया जाता है, तो ववभागीय सिवाईु में आपको गवाही देिे के ललए कहा जा सकता है।

8. यहद हमारी जाॉंि दशाशती है कक लशकायत निराधार है या अचधकारी िे ठीक से काम ककया है तो मामला बंद कर हदया जाएगा।

9. आंतररक मामलों की जाॉंि गोपिीय है और सभी अिशासिात्मकु सु िवाई जिता के ललए बंद रहेगी, जब तक कक प्रनतवादी अचधकारी खलीु सिवाईु का अिरोधु िहीं करता है।

10. आप मामले के बारे में ककसी भी अनतररतत जाि्कारी या ककसी भी प्रचि के साि Internal Affairs Officer को 732-356-1900 x340 पर कॉल कर सकते हैं।

email professionalstandards@middlesexpd.com